निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
49/2016	20.07.2016	16/10/25

किशोरी उर्फ रामकिशोर पुत्र चिरमोली, जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा, तह0 वजीरपुर —वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर —प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संतोष कुमार जाटव, एडवोकेट, वादी की ओर से

पैरोकार सरकार।

निर्णय

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 25.3.2019, मुकदमा संख्या 49/16 उनवानी प्रकरण किशोरी बनाम लैण्ड होल्डर के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मे अपीलार्थी/वादी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमे माननीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.1.2020 को निर्णय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 25.3.19 को अपास्त किया तथा इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया कि तहसीलदार लैण्ड होल्डर से पुनः विस्तृत एवं स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी के यहॉ से प्रकरण स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि ग्रमा मोहचा का पुरा मे भूमि ख0न0 7817 रकबा 0.24 है0, ख0न0 718 रकबा 0.23 है0 स्थित है। यह भूमि साबिक ख0न0 241 रकबा 300 बीघा किस्म सिवायचक का भाग रही है। दिनांक 28.5.68 को साबिक ख0न0 241 रकबा 300 बीघा मे से वादी को 2 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। इसका कब्जा वादी को सौप दिया गया व राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम खातेदार किशोर पुत्र चिरमोली कौम चमार दर्ज कर दिया गया। वादी को आवंटित उपरोक्त 2 बीघा भूमि का नवीन ख0न0 717 रकबा 0.23 है0 व ख0न0 718 रकबा 0.23 है0 कुल रकबा 0.46 है0 पर वादी का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:35:27 IST
Reason: Self Attested

विधिपूर्वक चला आ रहा है। आवश्यकता नही होने के कारण वादी ने कभी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकल नही निकलवाई। दिनांक 29.1.16 को थाना पीलौदा के सिपाही द्वारा तहसीलदार वजीरपुर के द्वारा वादी के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट की जानकारी वादी के घरवालों ने वादी को दी तो वादी ने तहसील वजीरपुर मे जाकर नकल निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि वादी की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है एवं वादी को अतिक्रमी घोषित कर दिनांक 21.9.15 को वादी को ख0न0 717 रकबा 0.24 है0 से बेदखल करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास से दंडित करने का निर्णय पारित कर दिया गया है। इसी तरह प्रतिवादी के भाई रामजीलाल को भी भूमि ख0न0 718 रकबा 0.23 है0 पर अतिक्रमी मानकर उसके विरूद्ध भी इसी तरह का निर्णय का निर्णय पारित किया गया है। वादी को वाद कारण दिनांक 29.1.2016 को उत्पन्न हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम मोहचा का पुरा तहसील वजीरपुर मे स्थित भूमि ख0न0 717 रकबा 0.24 है0, ख0न0 718 रकबा 0.23 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख मे वादी के नाम खातेदारी इन्द्राज दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि के कब्जे काश्त से वादी को बेदखल नही करे।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि है। वादी को साबिक ख0न0 241/1/82 रकबा 2 बीघा का आंवटन हुआ था जबकित मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादग्रस्त भूमि साबिक ख0न0 241 मिल के नवीन नम्बर हे। भूमि सिवायचक दर्ज है इसलिए प्रतिवादी को भूमि से वादी को बेदखली का पूर्ण अधिकार है। भूप्रबन्ध कार्यवाही के बाद भूप्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा भूमि सम्बन्ध मे कच्ची पर्ची एवं पर्चा लगान जारी किये गये। वादी द्वारा लगभग 33 वर्ष बाद दावा लाया गया है जो मियाद बाहर है। वादी ने दावा दायर करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी नही दिया है जबकि राज्य सरकार के विरूद्ध दावा दायर करने से 2 माह पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाबदावे के आधार पर निम्न [illegible] कायम की गई।

1. आया वादी को साबिक [illegible] मोहचा का पुरा किस्म सिवायचक मे से 2 बीघा भूमि का आवंटन [illegible] वादी को कब्जा संभलाया गया।

——वादी

2. आया वादी की आवंटन शुदा भूमि से हाल ख0न0 717 रकबा 0.24 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:35:27 IST
Reason: SelfAttested

718 रकबा 0.28 हे0 किस्म सिवायचक बनाए गए है जिन पर वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। ——वादी

3. आया वादी भूमि मुतदाावािया की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। ——वादी

4. आया वादी को ख0न0 241/1/82 रकबा 2 बीघा आवंटन हुआ था जिसका मिलान क्षेफल पेश नही होन के कारण दावा खारिज योग्य है

——प्रतिवादी

5. आया सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार की गई है। भूमि वर्तमान मे सिवायचक दर्ज होने के कारण दावा खारिज योग्य है।

——प्रतिवादी

6. अनुतोष

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.5.68 प्रदर्श1, नकल आवंटन फार्म प्रदर्श 2, नकल पत्र संख्या 1059 दिनांक 3.6.68 कार्यालय तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रदश्र 3, नकल नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 31.5.69 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2028—31 प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7, असल पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मोहचा दिनांक 20.3.17 प्रदर्श 8, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9, नकल खसरा परिवर्तनशील संवत 2071 प्रदर्श 10 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी किशोरी उर्फ रामकिशोर पीडब्ल्यू 1, बयान गवाह राजीलाल पीडब्लयू 2, बयान गवाह अमृतलाल पीडब्ल्यू 3, बयान गवाह रहमुख पीडल्यू 4, बयान गवाह मांगी पीडब्ल्यू 5 कराए है।

इसके अतिरिक्त वादी ने नकल खसरा परिवर्तित संवत 2072 फसल रबी, संवत 2056 फसल रबी, संवत 2057 फसल खरीफ 2058 फसल रबी, संवत 2059 फसल खरीफ, संवत 2060 फसल रबी, संवत 2061 फसल खरीफ, संवत 2062 फसल खरीफ, संवत 2063 फसल रबी, असल पेनेल्टी रसीद 14 किता, नकल खसरा गिरदावरी संव 2029—32, 2033—36, 2037—40, 2041—42, 2044—2047, 2048—2051, 2052—55, 2056—59, 2060—63, 2065—67, 2068—71 भी प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:35:27 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 16.1.2020 मे दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में तहसीलदार वजीरपुर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार वजीरपुर ने उनके कार्यालय के पत्रांक भूअ/2022/712 दिनांक 21.9.2022 को रिपोर्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट मे

तहसीलदार वजीरपुर ने अंकित किया है कि ग्राम मोहचा के साबिक ख0न0 241 मे से नामा0 संख्या 573 दिनांक 31.5.1969 जमाबंदी संवत 2028–31 मे जरिए आवंटन आदेश नवीन ख0न0 241/1/82 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन किशोरी पुत्र चिरमोली कोम चमार सा. देह गैरखातेदार दर्ज हुआ है। खतौनी सवंत 2039 मे साबिक ख0न0 241/1 के नवीन ख0न0 794 रकबा 0.24 है0 व 795 रकबा 0.23 है0 बने है जो कि सिवायचक दर्ज किये गये है। ग्राम मोहचा मे से नवीन ग्राम मोहचा का पुरा बनने के बाद संवत 2056–59 मे ख0न0 794, 975 के नवीन ख0न0 717 रकबा 0.24 है0, ख0न0 718 रकबा 0.23 है0 बने है। खसरा गिरदावरी संवत 2029–32 व संवत 2033–36 की गिरदावरी मे फसल दर्ज है। वर्तमान ख0न0 717 रकबा 0.24 है0 पर फसल बाजरा किशोरी उर्फ रामकिशोर पुत्र चिरमोली एवं ख0न0 718 रकबा 0.23 है0 पर रामजीलाल पुत्र चिरमोली द्वारा तिल फसल बोई गई है। उक्त दोनो भाई संयुक्त रूप से खेती करते है।

बहस विद्धान वकील वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

पैराकार सरकार ने अपनी बहस मे वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तनकीबाईज निर्णय निम्नानुसार है–

तनकी नम्बर 1:– आया वादी को साबिक ख0न0 241 वाके ग्राम मोहचा का पुरा किस्म सिवायचक मे से 2 बीघा भूमि का आवंटन कर वादी को कब्जा संभलाया गया।

इस तनकी को साबिक करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल आवंटन आदेश दिनांक 28.5.68 प्रदर्श 1 के अनुसार वादी को ख0न0 241 मिन रकबा 300 बीघा ग्राम मौहचा मे 2 बीघा भूमि दिनांक 28.5.68 को आवंटित की गई है। इस प्रकार यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होती है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– आया वादी को आवंटित भूमि से हाल ख0न0 717 रकबा 0.24 है0, 718 रकबा 0.28 है0 [illegible] सिवायचक बनाए गए है जिन पर वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

इस तनकी का प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9 के अनुसार ख0न0 241 मिन से बहुत सारे नम्बर बनाये गये है। जिनमे ख0न0 794 रकबा 24 एयर, ख0न0 795 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:35:27 IST
Reason: SelfAttested

23 भी है। वादी को आंवटित दो बीघा भूमि के बनाये गये ख0न0 241/1/82 से नवीन नम्बर कौनसा बना है। इसका अंकन मिलान क्षेत्रफल मे नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 के अनुसार गॉव मौहचा मे से मौहचा का पुरा पृथक होन पर ख0न0 794 का ख0न0 717 व ख0न0 795 का ख0न0 718 बना है। वादी ने ख0न0 717 व 718 पर अपना कब्जा होना बताया है। जिसके प्रमाण स्वरूप वादी ने खसरा परिवर्तित की नकले भी प्रस्तुत की है। ख0न0 717 व 718 सिवायचक दर्ज है। वादी को आंवटित ख0न0 241/1/82 की स्थिति वर्तमान मे किसी खसरा नम्बर पर बैठती है। इसे प्रमाणित करने के लिए वादी ने साबिक ख0न0 241/1/82 एवं इससे बने हॉल खसरा नम्बरों का नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत नही किया है। इनके अभाव मे यह नही माना जा सकता है कि ख0न0 717 व 718 वही भूमि है जो वादी को आंवटित हुई है। अतः यह तनकी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नही होने के कारण वादी के विरूद्ध प्रमाणित की जाती है।

तनकी नम्बर 3:– आया वादी भूमि मुतदााविया की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। तनकी नम्बर 2 मे किय गये विवेचन के अनुसार वादी ख0न0 717 व 718 के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट नही कर पाया है कि उपरोक्त दोनो नम्बरों मे वही भूमि है जो वादी को आंवटित हुई है। चूकि राजस्व अभिलेख मे उपरोक्त दोनों नम्बर सिवायचक दर्ज है। इन नम्बरों पर वादी का दावा प्रमाणित नही हो रहा है। अतः वादी उपरोक्त नम्बरों की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकार नही है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध घोषित की जाती है।

तनकी नम्बर 4:– आया वादी को ख0न0 241/1/82 रकबा 2 बीघा आवंटन हुआ था जिसका मिलान क्षेत्रफल पेश नही होन के कारण दावा खारिज योग्य है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी ने नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9 प्रस्तुत किया है उसमे उसको आवंटित ख0न0 241/1/82 का नवीन नम्बर कौनसा बना है, इसका उल्लेख नही है।इस मिलान क्षेत्रफल के अवलो[illegible] है कि ख0न0 241/1 के बने अनेकों बटा नम्बरों से नवीन नम्बर [illegible] किया है परन्तु ख0न0 241/1/82 से बने नवी[illegible] का कोई [illegible]ल्लेख नही है। अतः अपूर्ण मिलान क्षेत्रफल के अभाव [illegible] डिक्री कराने का अधिकारी नही है। फलस्वरूप यह तनकी अभिलेख [illegible] प्रमाणित नही होने के कारण वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:35:27 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 5 :– आया सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार की गई है। भूमि वर्तमान मे सिवायचक दर्ज होने के कारण दावा खारिज योग्य है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी लैण्ड होल्डर पर था। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार ख0न0 717 व 718 ग्राम मौहचा का पुरा सिवायचक दर्ज है। जिस पर वादी का बतौरा अतिक्रमी काबिज होना पाये जाने के कारण वादी के स्वयं के कथननुसार प्रतिवादी द्वारा उसे तीस दिवस के सिविल कारावास से दंडित किया गया है। तनकी नम्बर 2 मे किये गये विवेचन के अनुसार वादी प्रमाणित करने मे असमर्थ रहा है कि ख0न0 717 व 718 वही भूमि है जो उसे ख0न0 241/1/82 के रूप मे आंवटित हुई है। इस प्रकार अभिलेख से वादी का दावा प्रमाणित नही होने के कारण वादी का दावा खारिज होने योग्य है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 6:– अनुतोष

तनकी वाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार तनकी नम्बर 2, 3, 4, 5 वादी के विरूद्ध निर्णित हुई है एवं तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 717 व 718 पर वादी का निरन्तर कब्जा भी इन नम्बरों पर नही दर्शाया गया है। फलस्वरूप वादी का वाद अभिलेख से प्रमाणित नही होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एव बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:35:27 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

किशोरी उर्फ रामकिशोर पुत्र चिरमोली, जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा, तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. – 49/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संतोष कुमार जाटव, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई पैरोकार सरकार मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/10/25 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:35:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर